

क्र./अस्प.प्रशा. (औ.प्रको.)/2022/28
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/01/2022

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
समस्त अधीक्षक, विशेष अस्पताल,
मध्यप्रदेश।

विषय:—कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए औषधि, सामग्री एवं उपकरण की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना के दिशा-निर्देश।

संदर्भ:—आयुक्त स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 05.01.2022।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि वर्तमान में कोविड -19 की संभावित तृतीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य में रोगियों के उपचार हेतु समय पर आवश्यक औषधियों एवं सामग्रियों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु पूर्व के दो वर्षों में प्रदेश में संक्रमित कोविड-19 के मरीजों की संख्या अनुसार आवश्यक औषधियों एवं सामग्रियों की उपलब्धता में परीलिखित हुई कुछ कठनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सुधारात्मक कार्ययोजना के अनुसार संभावित तृतीय लहर में उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। सचिव सह स्वास्थ्य आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में अस्पताल प्रशासन शाखा, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग मध्य प्रदेश के समन्वय से कार्य किए जाने हेतु रणनीति बनाई गई है तथा जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(डॉ सुदाम खांडे)

सचिव सह आयुक्त स्वास्थ्य
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म0प्र0
भोपाल, दिनांक /01/2022

पृ. क्र./अस्प.प्रशा. (औ.प्रको.)/2022/

प्रतिलिपि —सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।

सचिव सह आयुक्त स्वास्थ्य
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म0प्र0